प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

रिपार्ट पटवारी नारायणखेड़ा व भू.अ. निरिक्षक नापड़ियास तहसील रायपुर

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी राजूलाल पिता टीला भील का नाम नारायणखेड़ा के बजाय गलती से खाता संख्या 56, 57, 58 में दर्ज किया जाना उचित है। रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में सादर पेश है।

पटवारी
प. नारायणखेड़ा

भू.अ.नि.
15/10/21

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायपुर

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू.अ. निरीक्षक अनुसार ग्राम तेज्याखेड़ी के खाता संख्या 56, 57, 58 में राजूलाल पिता टीला भील कि सा. नारायणखेड़ा के बजाय सही दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

क्रमांक/प्र०गा० सं०/2021/28/21 (2021/222) दि. 14.10.2021

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का जांच भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार रायपुर व सलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व ग्राम तेज्याखेड़ी के ख.न. 56, 57, 58 में [illegible] पि. टीला भील सा. नारायणखेड़ा के बजाय राजूलाल पि. टीला भील सा. [illegible] किया जावे, तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
14.10.2021
रायपुर (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.18 16:13:56 IST
Reason: SelfAttested

FORM NO.03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

अनवान

राजुलाल पिता टीला भील निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर — प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर — विपक्षी

किस्म मुकदमा धारा 136 रा.भू.राज.अधि. 1956 — मु0नं0 28 सन् 2021 (2021/222)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज
दिनांक– 14-10-2021	प्रार्थी राजुलाल पिता टीला भील निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम तेज्याखेड़ी के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2073–2076 में शामलाती खाता संख्या 46, 47, 48 में क्रमशः किता 10 रकबा 1.75 है0, किता 8 रकबा 2.16 है0, किता 2 रकबा 0.32 है0 भूमि सहखातेदारी से प्रार्थी राजुलाल पिता टीला भील सा. नारायणखेड़ा के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी राजुलाल पिता टीला भील सा. देह के बजाय राजुलाल पिता टीला भील सा. नारायणखेड़ा अंकन हो रहा है जबकि वास्तविक ग्राम का नाम राजुलाल पिता टीला भील सा. तेज्याखेड़ी है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली ग़ई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम तेज्याखेड़ी के खाता संख्या 46, 47, 48 में खातेदार राजुलाल पिता टीला भील सा. नारायणखेड़ा के बजाय राजुलाल पिता टीला भील सा. देह दुरूस्ती किया जाना उचित बताते हुए दुरस्ती करने की अभिशंषा की गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर खातेदार राजुलाल पिता टीला भील सा. नारायणखेड़ा के स्थान पर राजुलाल पिता टीला भील सा. देह के नाम राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करने की स्वीकृती दी गई, विस्तृत निर्णय अलग से लिखा गया जो शामिल पत्रावली है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Sundar Lal Bamboda Date: 2021.12.18 16:13:56 IST Reason: SelfAttested 14.10.2021 (सुन्दर लाल बम्बोरा) उपखण्ड अधिकारी रायपुर उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा